

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2023—आषाढ़ 9, शक 1945

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 23 जून 2023

क्र. 1091-डूडा-2023.—मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. एफ-1-07-2022-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 9 मई, 2023 से प्राप्त नवीन स्वीकृति अनुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, सागर जिले की खुरई ब्लॉक की सीमाओं के अंदर निम्न अनुसूची में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए संक्रमणशील क्षेत्र को पूर्व से प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक 516/डूडा/2022 दिनांक 8 मार्च 2022 को संशोधित कर खिमलासा नगर परिषद गठन के लिये प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया जाता है. अनुसूची में दर्शित सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति रखता है तो राजपत्र में इसी अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव कलेक्टर जिला सागर को प्रस्तुत कर सकता है. समयावधि उपरांत किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जावेगा.

नगर परिषद्, खिमलासा गठन में सम्मिलित किये जाने वाले राजस्व ग्राम:—

स.क्र.	जिले का नाम	विकास खंड का नाम	विघटित ग्राम पंचायत का नाम	नगरीय क्षेत्र के गठन हेतु सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सागर	खुरई	खिमलासा	खिमलासा	खिमलासा, मालासुनेटी	2075.46
2				पथरिया जेगन	पथरिया जेगन, पथरिया बोधा, करमपुर, सदरपुर, लमेटी.	2574.41

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3				गढौलीजवाहर	गढौलीजवाहर, बुढनपुरा, इनायतपुर, मुडियाकुबेर, महाराजखेडी (वीरान)	1236.39
4				बसाहरी	बसाहरी, चमरूवा (वीरान)	3911.29
5				खडेसरा	खडेसरा, लेहटवास खिरिया चित्तर.	1280.86
योग . .				05	17	11078.41

दीपक आर्य, कलेक्टर.

Sagar, the 23rd June 2023

S. No. 1091-Duda-2023.—Section 5 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) as per the new approval received from the Order No. F-1-07-2022-XVIII-3, Bhopal, dated 9th May 2023, of the Government of Madhya Pradesh, Department of Urban Development and Housing, Ministry of Bhopal in exercise of the powers conferred under (1), the transitional area, including the local area shown in the following schedule within the limits of Khurai block of Sagar district, has already been published notification No. 516/Duda/2022 dated 8th March 2022 Khimlasa municipality is initially notified for the formation of amended tax. If the local authority having jurisdiction of the included areas shown in the schedule or any person residing in it has any objection regarding any issue contained therein, then within 15 days from the date of publication of this notification in the Gazette, his written objection/suggestion should be submitted to the Collector, District Sagar, can be presented to any kind of objection will not be valid after the time period, which will be considered by the State Government.

Revenue villages to be included in the formation of Nagar Parishad Khimlasa:—

No.	Distt.	Block	Name of the Dissolved Gram Panchayat	Name of Gram Panchayat included for the information urban areas	Included Villages	Area (In Hect.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sagar	Khurai	Khimlasa	Khimlasa	Khimlasa, Malasuneti	2075.46
2				Patharia Jegan	Patharia Jegan, Patharia Bodha, Karampur, Sadarpur, Lameti.	2574.41
3				Gadholijjawhar	Gadholijjawhar, Budhanpura, Inayatpur, Mudiyakuber, Maharajkhedi (Veeran)	1236.39
4				Basahri	Basahri, Chamruwa (Veeran)	3911.29
5				Khadeshra	Khadesara, Lehtwas, Khiria Chittar.	1280.86
Total . .				05	17	11078.41

DEEPAK ARYA, Collector.